संख्या : 12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 15 जून, 2018

विषय : पुनरीक्षित योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन के सम्बन्ध में संशोधन ।

महोदय,

योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिसके प्रस्तर-7 में निम्नवत् व्यवस्था है -

"परियोजनाओं की लागत में पुनरीक्षण की दशा में परियोजना की लागत के 10 प्रतिशत तक पुनरीक्षण का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने पर ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन (अप्रेजल) पी.एफ.ए.डी. द्वारा तथा 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की दशा में पुनरीक्षित परियोजना का मूल्यांकन एवं उस पर विचार व्यय वित्त समिति के द्वारा किया जायेगा । रुपये 25.00 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित लागत होने की दशा में समस्त प्रस्ताव, भले ही उनमें वृद्धि प्रतिशत कुछ भी हो, व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे ।"

2- उपरोक्तानुसार परियोजनाओं के पुनरीक्षण होने की स्थिति में परियोजनाओं की लागत में पुनरीक्षण की दशा में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर पुनरीक्षित परियोजना का मूल्यांकन एवं उस पर विचार व्यय वित्त समिति के द्वारा किया जाता है । यह देखने में आया है कि छोटी-छोटी परियोजनाओं की लागत में पुनरीक्षण की दशा में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर अत्यन्त लघु धनराशियों के आगणन भी व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं ।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता, वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनाँक 26 अगस्त, 2014 में योजनाओं / परियोजनाओं के प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु प्रस्तर-7 की व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्र.सं.	पुनरीक्षित परियोजना में व्यय के प्रस्ताव	पुनरीक्षित व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का परीक्षण
1.	5 करोड़ रुपये तक	प्रशासकीय विभाग
2.	5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 25 करोड़ रुपये तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हों)
3.	5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 25 करोड़ रुपये तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हों)
4.	25 करोड़ रुपये से अधिक	प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति

उपरोक्तानुसार पुनरीक्षण के सभी प्रकरणों में शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

4- पुनरीक्षित लागत के आगणन में यह स्पष्ट रूप से अलग-अलग एक तालिका में अंकित करते हुये दिखाया जाये कि दरों में पुनरीक्षण के कारण कितनी वृद्धि हो रही है, नये कार्यों (**scope of works**) को सम्मिलित करने के फलस्वरूप कितनी वृद्धि हो रही है एवं अन्य कारणों से कितनी वृद्धि हो रही है । नये कार्यों (**scope of works**) को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में उन कार्यों को कराये जाने की क्या आवश्यकता एवं औचित्य है, से सम्बन्धित स्पष्ट टिप्पणी भी प्रशासकीय विभाग द्वारा अंकित की जाये ताकि तद्नुसार प्रस्ताव का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जा सके ।

5- शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 में दी गयी अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी ।

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 12/2018/बी-2-856(1)/दस-2018-10/77, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
7 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता, वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in